

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची ।

दिनांक-04.07.2022

सेवा में,

**VIVEK KUMAR,**  
VIVAN INDUSTRIES PVT. LTD.,  
FLAT NO. 1403, SHRI RADHAY KRISHNA GARDEN,  
RAMESHWARAM, BARIATU, RANCHI, JHARKHAND – 834009

**विषय:-** मौजा-Getalsud & Buki, प्लॉट नं०-Plot No. 1361 to 1384 & 1386, 1708, 187 to 204, 205P-206P, 208P-210P, खाता नं०-1,4,5,7,16,21,25,27, 30,32, 36, 41, 46, 52, 58, 59, 67, 72, 100, 112, 123, 124, 172, 218, 220, 239, वार्ड नं०-N/A, थाना-Angara (9 & 51), जिला-राँची में निर्मित भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह ।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया । उन्होंने अपने ज्ञापांक-546 दिनांक-27.06.2022 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. निर्मित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके ।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में अग्निशमन वाहनों को इस टैंक से पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय ।
3. भवन के चारों तरफ एक 150mm डायामेटर वाले एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक 40 मीटर अथवा उसके भाग पर 01-01 हाईड्रैण्ट तथा 30 मीटर लम्बा होजरील होज का संस्थापन कराया जाय ।
4. प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास दीवार में एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो-दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखे जाने की व्यवस्था की जाय ।
5. भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय ।
6. भवन के अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें एक शक्तिशाली एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय ।
7. पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे ।
8. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय ।
9. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड को Auto Modular Fire extinguisher एवं रबड़ मैट से सुरक्षित किया जाय । मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय ।
10. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के नीचे फर्श पर कम से कम 30mm मोटा रबड़ मैट का संस्थापन कराया जाय ।
11. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Lisenced Electrician से हीं कराये जाँय ।
12. भवन में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 4.5 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय ।
13. भवन में एक मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय ।
14. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाए ।
15. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले सेल्फ अप्रेजल चेक-लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सभी सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है ।

16. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराये जाने एवं जाँच में संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
17. भवन के किसी भी भाग में बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
18. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.9 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का अनुपालन दृढ़ता से किया जाय।

**JAGJEEWAN RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,  
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7,  
postalCode=834002, st=Jharkhand,  
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70,  
cn=JAGJEEWAN RAM  
Date: 2022.07.04 12:07:31 +05'30'

**(जगजीवन राम)**

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।